नम्बर
अहकाम
की तामील

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 02 / 2021

राज.सरकार प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1—महेशचन्द पुत्र श्यामसुन्दर अग्रवाल, जाति वैश्य निवासी भैरो मन्दिर के पास नकम कटरा,भरतपुर
2—मुस्तकिम पुत्र सलीम जाति मुसलमान (कुरेशी)छत्ता बाजार, यमुना किनारा, आगरा,
3—सारिक पुत्र नामालूम हाकिमा गली छत्ता बाजार जमुना किनारा आगरा,

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, Lubricating Oils and Greases(Processing, supply & Distribution Regulation) Order 1987.

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार रसद प्रार्थी,
2—श्री जमुना प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी.1

निर्णय **दिनांक 12.02.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुरी अनाज मण्डी के पीछे सुभाष नगर की ओर जाने वाली रोड़ पर सीताराम बारदाने वाले के बगल में नैनूराम जघीना के मकान पर पहुंचे, मौके पर जॉच करने पर कमरे में इन्डेक्शन सीलिंग मशीन कैस्ट्रोल ऑयल की भरी व खाली बोतले, ल्यूब के दो ड्रम , तैयार ल्यूब 30 लीटर, लोगो, केस्ट्रो, कैस्ट्रोल होलोग्रांम, स्टीकर सीट, ढक्कन, पाइप, क्यूआर कोड, पैकिंग सीलं फनल, लीटर माप लाल रंग कलर वोटल आदि मिले व दो लोग महेश व मुस्तकीम मिले। मौके पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि यहां निम्न श्रेणी के स्नेहक में रंग आदि मिला कर कैस्ट्रोल कम्पनी के डिब्बो में पैक कर उन पर रेपर, सील लोगो होलोग्रांम व ढक्कन आदि लगा कर अवैध व कूट रजित रुप से उन्हें कैस्ट्रोल कम्पनी के उत्पाद के रुप में तैयार कर कारोबार किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मौके पर ऐसा नहीं है जो स्नेहक का प्रसंस्करण भण्डारण, पुर्नपरिष्करण व कारोवार करने हेतु अधिकृत हो अथवा जिसके पास इस कार्य हेतु कोई वैध दस्तावेज अनुज्ञापन आदि हो। मौके पर

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपलब्ध सामग्री व किया जा रहा कार्य स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनयमन) आदेश 1987 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः बजह सबूत सीलिंग मशीन1, इलैक्ट्रिक प्रेस 1, 37 कैस्ट्रोल ब्राण्ड के ल्यूब ऑयल बोतले भरी (प्रत्येक में 900 एमएल), रेपर 43सीट, कैस्ट्रोल 1 लीटर, 114 सीट, 654 होलोग्राम , कैस्ट्रोल टीएन 75 के 4 लोगो सीट, बार कोड पैलट, पैलिट पैकिंग सील थेली, 389 सील बन्द ढक्कन , तीन फनल, 1लीटर के 2 माप, दो लोहे के ड्रम मय 360 लीटर स्नेहक, एक प्लास्टिक के कटे ड्रम में 27 लीटर तैयार ल्यूब, एक लाल कलर की व एक अन्य कलर का पैकेट , तेल खींचने की मशीन मय पाइप, 10 कार्टन में 200 खाली डिब्बे बजह सबूत जप्त सरकार कर पुलिस अभिरक्षा में दिये गये। अप्रार्थी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट 333/2021 दर्ज करवाई गई। मौके एवं परिस्थतियों व साक्ष्यों आधार पर कैस्ट्रोल ब्राण्ड के नाम से फर्जी ल्यूब ऑयल तैयार करना ल्यूब ऑयल का अवैध व्यापार व भण्डारण करना पाया गया है जो Lubricating Oils and Greases (Processing, supply & Distribution Regulation) Order 1987 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर जप्त किये गये सामान को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं आये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 25.07.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुरी अनाज मण्डी के पीछे सुभाष नगर की ओर जाने वाली रोड़ पर सीताराम बारदाने वाले के बगल में नैनूराम जघीना के मकान पर पहुंचे, मौके पर जॉच करने पर कमरे में इन्डेक्शन सीलिंग मशीन कैस्ट्रोल ऑयल की भरी व खाली बोतले, ल्यूब के दो ड्रम , तैयार ल्यूब 30 लीटर, लोगो, केस्ट्रो, कैस्ट्रोल होलोग्रांम, स्टीकर सीट, ढक्कन, पाइप, क्यूआर कोड, पैकिंग सील फनल, लीटर माप लाल रंग कलर बोटल आदि मिले व दो लोग महेश व मुस्तकीम मिले। मौके पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि यहां निम्न श्रेणी के स्नेहक में रंग आदि मिला कर कैस्ट्रोल कम्पनी के डिब्बो में पैक कर उन पर रेपर, सील लोगो होलोग्रांम व ढक्कन आदि लगा कर अवैध व कूट रचित रुप से उन्हें कैस्ट्रोल कम्पनी के उत्पाद के रुप में तैयार कर कारोबार किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मौके पर ऐसा नहीं है जो स्नेहक का प्रसंस्करण भण्डारण, पुर्नपरिष्करण व कारोबार करने हेतु अधिकृत हो अथवा जिसके पास इस कार्य हेतु कोई वैध दस्तावेज अनुज्ञापन आदि हो। मौके पर उपलब्ध सामग्री व किया जा रहा कार्य स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनयमन)

........3

जिला कलेक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 02 / 2021
सरकार बनाम महेशचन्द वगै0

आदेश 1987 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर जप्त किये गये सामान को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाकर मौके पर जप्त माल को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गयां। वक्त निरीक्षण मौके एवं परिस्थतियों व साक्ष्यों आधार पर कैस्ट्रोल ब्राण्ड के नाम से फर्जी ल्यूब ऑयल तैयार करना ल्यूब ऑयल का अवैध व्यापार व भण्डारण करना पाया गया है जो Lubricating Oils and Greases (Processing, supply & Distribution Regulation) Order 1987 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त किये गये सीलिंग मशीन1, इलैक्ट्रिक प्रेस 1, 37 कैस्ट्रोल ब्राण्ड के ल्यूब ऑयल बोतले भरी (प्रत्येक में 900 एमएल), रेपर 43सीट, कैस्ट्रोल 1 लीटर, 114 सीट, 654 होलोग्रांम , कैस्ट्रोल टीएन 75 के 4 लोगो सीट, बार कोड पैलट, पैलिट पैंकिंग सील थेली, 389 सील वन्द ढक्कन , तीन फनल, 1लीटर के 2 माप, दो लोहे के ड्रम मय 360 लीटर स्नेहक, एक प्लास्टिक के कटे ड्रम में 27 लीटर तैयार ल्यूब, एक लाल कलर की व एक अन्य कलर का पैकेट , तेल खींचने की मशीन मय पाइप, 10 कार्टन में 200 खाली डिब्बों का राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त किये गये स्नेहक को एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने पर तदनुसार निस्तारण किया जावे तथा शेष शेष जप्त सामान को नियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर